न्यायालय :– सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड़ अधिकारी रायपुर (ब्यावर)
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती सुमित्रा बिश्नोई आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 04/2022
प्रकरण दर्ज तिथि :– 09.3.2022
जीसीएमएस नम्बर :– 2022/85

अणदासिंह पुत्र डूंगरसिंह जाति रावत निवासी सोडपुरा तहसील रायपुर जिला पाली राज.।

बनाम

अप्रार्थी

1. गुणेश पुत्र घीसुसिंह
2 पुसी पुत्री घीसुसिंह
3. बनी पत्नी घीसुसिंह
4. भैरूसिंह पुत्र घीसुसिंह
5. श्रवण पुत्र घीसुसिंह
6. कमली पत्नी कचरू
7. पुरणसिंह पुत्र छीतरसिंह
8. श्रवणसिंह पुत्र देवीसिंह समस्त जातिगण रावत निवासीगण सोडपुरा (प्रतापगढ) तहसील रायपुर 9. तहसीलदार रायपुर, तहसील कार्यालय रायपुर।

प्रार्थना पत्र वास्ते सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 111,128 आर एल आर एक्ट

उपस्थित : 1. श्री भूपैन्द्र सैन अधिवक्ता प्रार्थी
2 अप्रार्थीगण अनुपस्थित

निर्णय **दिनांक : 18.12.2025**

प्रार्थी की ओर से वकील श्री भूपैन्द्र सैन द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 111 व 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम विरूद्ध अप्रार्थीगण न्यायालय में पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि सरहद मौजा सोडपुरा पटवार हल्का प्रतापगढ तहसील रायपुर मे कृषि भूमि खसरा नम्बर 3654/2 रकबा 1.3112 हैक्टेयर चा.प्र. आयी हुई है। जिसकी जमाबन्दी प्रार्थना पत्र के साथ पेश है जिसे वाद का आवश्यक भाग समझा जावे। प्रार्थना पत्र में आगे उक्त कृषि भूमि को वादग्रस्त आराजी से संबोधित किया जायेगा वर्णित वादग्रस्त आराजी के चिपते ही अप्रार्थीगण संख्या 01 से लगायत 08 की भूमिया भी आयी हुई है। तथा अक्सर सीमा को लेकर वाद विवाद करते चले आ रहे है। तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 से 8 ने अपनी भूमि में बिना किसी प्रकार का नाप चोक करवाये प्रार्थी की भूमि में तारबंदी करने लगे, प्रार्थी ने मना किया तो नहीं माने ओर ऐलानिया धमकिया दी कि हम तो तुम्हारी भूमि में तारबंदी करेगे जबकि अप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई हक अधिकार नही है।

वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। किन्तु अडौसी पडौसी अप्रार्थीगण 1 से 8 अपने हिस्से से ज्यादा भूमि पर अर्थात् प्रार्थी की उक्त वादग्रस्त आराजी पर नाजायज एंव अवैध रूप से कब्जा करना चाहते है और आये दिन सीव व पाल डोल को लेकर वादी से लडाई झगडा करते है। जिस कारण से प्रार्थी ने सींमाज्ञान हेतू प्रार्थना पत्र दिनांक 23.12.2020 को अप्रार्थी संख्या 9 को एक प्रार्थना पत्र वास्ते सीमाज्ञान कराने हेतू विवादग्रस्त आराजी कृषि भूमि हेतू प्रस्तुत किया। जिस पर अप्रार्थी सं. 9 ने जरिये हल्का पटवारी उक्त सीमांज्ञान रिपोर्ट दिनांक 11.02.2021 मे किसी प्रकार

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

की कोई रिपोर्ट तैयार नही की किसका कहाँ तक हिस्सा है कहाँ तक सीमा है। सीमाज्ञान व पत्थरगढी नही होने से वादी अपनी भूमि को उपजाऊ बनाने व अन्य प्रकार से उपयोगी बनाने में भारी असुविधा हो रही है।

प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढी व सीमाज्ञान नही होने से प्रार्थी अपनी भूमि को मीट्टी उर्वरक डाल कर या अन्य प्रकार से डवलप करने में भारी परेशानिया उठानी पड रही है कही प्रार्थी उक्त भूमि पर लाखो रूपये खर्च करे ओर अडौसी पडौसी अप्रार्थीगण संख्या 01 से 8 विवाद कर जमीन हडपना चाहते है। जिससे भी प्रार्थी को भारी नुकसान होगा ओर वाद विवाद बढेगा इसलिये पत्थर गढी हो जाने से किसी प्रकार की मल्टी प्रोसिडिंग नही बढेगी इसलिये प्रार्थी को अपने हितो व अधिकारो की सुरक्षा हेतू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई। प्रार्थी को अधिकार है कि वह अपनी आराजी कृषि भूमि पर पत्थर गढी करवा अपनी सीमा पर मैड, पाल बनवाकर अपनी आराजियात का सही ढंग से कब्जा काश्त कर सके जिससे अप्रार्थीगण के हित एंव अधिकारो पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नही पडेगा।

उक्त प्रार्थना पत्र के कारण उपरोक्त वाद में वर्णित तथ्यों को देखते हुये इस माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में दिनांक 23.12.2020 से 11.02.2021 को उत्पन हुआ ओर उसके बाद दिन बे दिन उत्पन्न होता जा रहा है।

प्रार्थना पत्र बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी इस आश्य कि सादिर फरमाकर प्रार्थना पत्र के पद संख्या एक में वर्णित में वर्णित आराजीयात कृषि भुमि मे प्रार्थी के उपयोग उपभोग, काश्त, व काश्त मुतालिक समस्त कार्य करने मे अप्रार्थीगण किसी प्रकार कि दखलनदांजी व बाधा अडचन पैदा नही करे, और नाही प्रार्थी के हिस्से की जमीन से बेदखल आदि नही करे, और ओर ना ही प्रार्थी की वादग्रस्त आराजी की सीमा में प्रवेश करे ओर ना ही प्रार्थी की सीमा सीव, पाल डोल आदि को क्षतिग्रस्त करे न करावे, ना ही उसकी सीमा पत्थरगढी को तोड कर उसकी सीमाभंग करे ना ही प्रार्थी की भूमि मे तारबंदी करे, इसके लिये अप्रार्थीगण स्वंय व उसके मुख्तियार, उसके परिवार के सदस्यगण, नौकर चाकर, हाली, ऐजेन्ट इत्यादी को हमेशा के वास्ते पाबन्द फरमावे। दौराने प्रार्थनापत्र किसी प्रकार का भूमि को खुर्द बुर्द परिवर्तित व तारबंदी किया जाता है तो जरिये आज्ञापक निशेधाज्ञा के पूर्व की स्थिति बहाल की जावे। दौराने प्रार्थनापत्र वादग्रस्त आराजीया पर कब्जा कर लिया जाता है तो कब्जा पुनः प्रार्थी को दिलाया जावे। तथा पत्थरगढी सींमाकन का आदेश प्रदान करावे। अप्रार्थी संख्या 1 से 8 को पाबन्द फरमाया जावे की पद संख्या एक मे वर्णित वादग्रसत आराजी की पत्थर गढी करवाकर यदि प्रार्थी की उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि पर अप्रार्थीगण ने अपने हिस्से से ज्यादा नाजायज कब्जा कर रखा है तो उन्हे अप्रार्थीगण का कब्जा हटा कर कब्जा प्रार्थी को दिलाया जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल सुदा प्राप्त हुए हैं। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 08 के नोटिस तामिल के बावजूद अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती हैं। प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी को मांठ को लेकर एवं आस पडौस मे कब्जा धारी से अपनी भूमि को बचाने हेतु नियमानुसार सीमांकन शुल्क जमा करवाकर एवं पत्थरगढ़ी करने हेतु निवेदन किया हैं।

बहस समायत की गई। बहस, पत्रावली के अवलोकन एवं मनन के पश्चात् सरहद मौजा सोडपुरा पटवार हल्का प्रतापगढ तहसील रायपुर मे कृषि भूमि खसरा नम्बर 3654/2 रकबा 1.3112 हैक्टेयर चा.प्र. में, प्रार्थी रेकर्डेड खातेदार काश्तकार हैं जो राजस्व नक्शे में तरमीम हो रखी हैं एंव अपने स्वामित्व की

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

भूमि में पत्थरगढ़ी करवाने का विधिक अधिकारी हैं। प्रार्थी अधिवक्ता ने नियमानुसार सीमांकन शुल्क जमा करवाने एवं सीमांकन कर पत्थरगढ़ी करवाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की हैं। अतः प्रार्थी की भूमि का नियमानुसार सीमांकन शुल्क प्राप्त कर पत्थरगढ़ी करवाने हेतु अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार रायपुर को निर्देशित किया जाना न्यायोचित समझते है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा सोडपुरा पटवार हल्का प्रतापगढ तहसील रायपुर मे कृषि भूमि खसरा नम्बर 3654/2 रकबा 1.3112 हैक्टेयर चा.प्र. की उक्त कृषि भूमि में बाद विधिसम्मत प्रक्रिया अनुसार सीमांकन, पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को इस आदेश के साथ प्रेषित की जावें कि उक्त भूमि का सीमांकन शुल्क प्राप्त कर स्वयं मौके पर उपस्थित होकर नियमानुसार सीमांकन, पत्थरगढ़ी करवाई जावें एवं तहसीलदार रायपुर, मौके पर परिशांति कायम एंव कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस इमदाद की आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाने से सम्पर्क कर पुलिस जाप्ता लेने की व्यवस्था करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सुमित्रा बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

यह निर्णय आज दिनांक 18.12.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)